

01/5/19

पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलार्थ इतुप्राप्त। वकील
स्पीडेंट उप्राप्त। पृष्ठक-2 समझ में भी पुकारा है, पर
वकील अपीलार्थ या स्वयं अपीलार्थगण में ही कोई उप्राप्त नहीं।

प्रकरण में अपीलार्थ के निवेदन या स्वयं द्वारा
उठाए गए तत्पश्चात् भी हमका खुलासा उनके निवेदन या किया गया है।
एकपक्षीय स्वयं की रिपोर्ट में रजिस्ट्रेशन को रजिस्टर्ड
अ. D से समझ में जकात CPC अति 39 की पालना नहीं है।
कैसे हमकी पालना नहीं है हमसे साबित होता है कि अपीलार्थ
हमारे मामले में उमान जैसी हेतु नहीं कि 24 है और
न न्यायालय को उठाए की पालना कर रहे हैं।

लिहाजा अपील अपीलार्थ कडम राजरी,
कडम जैसी एवं कडम पालना में स्वयं की जारी है।
पत्रावली को भी शुभार होकर नकल से कर है, दाखिल हुकूमत है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर



[Signature]
वकील 30/2/2019